कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, गयाजी।

2 Bid System

ई0–निविदा आमंत्रण सूचना

सिर्फ ई0–निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर

अति अल्पकालीन ई0–पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–07/2026–27

1.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:–	कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गया जी।
2.	निविदा आमंत्रण की तिथि	:–	दिनांक–30.06.2026
3.	प्री0–बीड मीटिंग की तिथि एवं समय	:–	दिनांक–15.07.2026 को 15:00 बजे अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल गयाजी एवं दिनांक–22.07.2026 मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, पटना का कार्यालय कक्ष।
4.	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	:–	दिनांक–08.07.2026 से 31.07.2026 के 15:00 बजे तक
5.	निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	:–	दिनांक–01.08.2026 के 15:00 बजे तक
6.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय (तकनीकी बीड)	:–	दिनांक–03.08.2026 को 15:30 बज केवल बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in
7.	निविदा पत्र बिक्री का स्थान	:–	केवल बेवसाईट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर
8.	निविदा वैधता की अवधि	:–	120 दिन

कार्य की विवरणी

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)	अग्रधन की राशि (रूपये में)	परिमाण विपत्र की राशि (रूपये में)	बीड प्रोसेसिंग राशि + सर्विस टैक्स (रूपये में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	गयाजी जिला में नवनिर्मित पी0 ओ0 आवास 80 पी0 ओ0 क्वाटर का न्यायिक आवासीय परिसर में चाहरदीवारी एवं गार्ड रूम का निर्माण कार्य। वर्ष 2026–27 (स्वच्छता अधिष्ठापन एवं विद्युतीकरण कार्य सहित)	₹ 1,61,63,000/-	₹ 3,23,300/-	₹ 10,000/-	As per websites	3 Months

9. राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश के वैसे संवेदक जो समुचित श्रेणी में निबंधित हैं वे निविदा में भाग ले सकते हैं। वैसे संवेदक जो भवन निर्माण विभाग में निबंधित नहीं है उन्हें कार्यावंटन/Letter of Acceptance के पश्चात् भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा।
10. पथ निर्माण विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या 447 (S)–सह–पठित ज्ञापांक संख्या 448 (S) दिनांक 16.01.2020 एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 566 (भ) दिनांक 17.01.2020 में निहित शर्तें इस निविदा में प्रभावी होगी।
11. प्रारंभिक प्रतिभूति एवं जमानत की प्रतिभूति के रूप में राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र या PWD Code में उल्लेखित अन्य प्रतिभूति राशि, जो अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त हो मान्य होगी।
    - क) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
    - ख) परिमाण विपत्र के दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।
    - ग) परिमाण विपत्र के दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त

कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।

घ) परिमाण विपत्र के दर से 20 प्रतिशत से अधिक कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभूति (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए अतिरिक्त जमा करना होगा।

12. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति पश्चात् घट बढ़ सकती है, तद्नुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है।
13. निविदा केवल ई–निविदा पद्धति के अनुसार बेवसाइट (www.eproc2.bihar.gov.in) पर निष्पादित किया जाएगा। टॉल की नम्बर 18005726571 एवं E-mail Id: eproc2support@bihar.gov.in पर कार्य दिवस अवधि (8AM से 7PM) में विशेष जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
14. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदक के DSC (Digital Signature Certificate) प्राप्त करना होगा। User ID, Password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।
15. निविदा प्रपत्र बेबसाईट पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाईट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
16. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खोलने की जानकारी बेवसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र बेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
17. कार्य के नाम के सामने स्तम्भ 5 में अंकित परिमाण विपत्र का मूल्य E-Proc2 में दिये गये विकल्पों (Internet Payment/Gate way/Challan) के माध्यम से निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशन के बाद भुगतेय होगा। प्राप्ति रसीद कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी अथवा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी अथवा मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा तथा कार्य के सामने स्तम्भ 6 में अंकित bid Processing Fee + Service Tax का भुगतान संवेदक को internet payment gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid Processing Fee Account में Credit करना होगा।
18. E-Proc2.0 प्रणाली के तहत मात्र Online विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किये जायेंगे। यदि किसी निविदाकार के द्वारा भौतिक रूप से EMD जमा किया जाना आवश्यक हो तो मात्र B.G. (Bank Guarantee) ही स्वीकार किया जायेगा, संवेदक निविदा कागजात के साथ B.G. को Scan कर अपलोड करेंगे तथा B.G. भौतिक रूप से संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। E-Proc2.0 में परिमाण विपत्र की राशि internet gateway के माध्यम से ही लिया जाना है। अगर अग्रधन की राशि B.G. के रूप में दी जाती है तो B.G. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गयाजी के नाम से भारतीय Schedule बैंक से निर्गत होना आवश्यक है जिसका Online Verification किया जायेगा।
19. सभी मूल कागजात यथा परिमाण विपत्र के मूल्य के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति रसीद तथा अग्रधन के रूप में जमा किये जाने योग्य B.G. (Bank Guarantee) की मूल प्रति अथवा Online Mode में जमा किये गये राशि का प्राप्ति रसीद (जो भी लागू हो) को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, गयाजी अथवा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, गयाजी अथवा मुख्य अभियंता (द0), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय में तकनीकी बीड खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गयाजी या अधीक्षण अभियंता भवन अंचल, गयाजी से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
21. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
22. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत निर्माण श्रमिकों के लिए Cess के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा।
23. निविदा के साथ अद्यतन निबंधन, पैन नंबर, चरित्र/आचरण प्रमाण–पत्र एवं जी0एस0टी0 के सफाया प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।

25. अभियंत्रण ईकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
26. यंत्र संयंत्र की सूची संलग्न करना अनिवार्य होगा।
27. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित है (Debar) जिनपर किसी कारणवश पूर्व से आवंटित योजना कार्य लंबित चल रहा है या जो आवंटित कार्य एकरारनामा नहीं किये हैं, या फिर शुरू नहीं किये हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
28. निविदादाता स्थल का भली–भाँती निरीक्षण कर ही अपना दर उद्धृत करेंगे। बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

नोट – विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता
भवन प्रमण्डल, गयाजी।